न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 78/2020 निर्णय दिनांक :– 05.2.2021

उनवान

1. केसर देवी पत्नि रामेश्वर उर्फ रामस्वरुप
2. गोपाल पुत्र रामेश्वर उर्फ रामस्वरुप
3. कान्ति देवी पुत्री रामेश्वर उर्फ रामस्वरुप
4. माया पुत्री राधेश्याम पनि सूरजमल
5. कमला पनि कैलाश
6. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कैलाश
7. ओमप्रकाश पुत्र कैलाश
8. गजेन्द्र पुत्र कैलाश
9. रामबाबू पुत्र कैलाश
10. दिलीप पुत्र कैलाश
11. विनिता पुत्री कैलाश

समस्त जातियान जांगीड निवासीयान ग्राम तितरीया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज ।

वादीगण

बनाम

1. अचला पुत्री वासुदेव
2. अदिती पुत्र वासुदेव
3. ठु. ज्योति कुमारी पत्नि विजेन्द्र सिंह
4. ठु.मधु वासुदेव पलि वासुदेव
5. ठा. गोपाल दास पुत्र मानदाता सिंह
6. ठा. नारायण सिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

7. ठा. योगेश्वर सिंह पुत्र मानदाता सिंह
8. यामिनी सिंह पुत्री वासुदेव
9. रानी देवेश्वरी पुत्री मानदाता सिंह
10. रानी बृजराजकुमारी पुत्री मानदाता सिंह
11. रानी माधवी पुत्री मानदाता सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीयान गीजगढ हाउस

——अप्रार्थीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निवधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया गया कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 204 के खसरा नम्बर 3448/4042 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 3572 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 3597/4045 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 3600/4165 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 3601/4170 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 3629/4179 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 3659 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3869 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 3672 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 3675 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 3676 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 3709 रकबा 0.09 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 3.54 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसको उक्त वादपत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

किया गया है। विवादित आराजी के पुराने साबिक खसरा नम्बर 1088/2 रकबा 135 बीघा 01 बिस्वा भूमि थी जो माफी परिहार जी माता ठा, मानदाता सिंह कौम राजपूत सा. जयपुर राज0 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। यह कि प्रतिवादीगण के बुजुर्गान दादी माफी परिहार जी माता ठा. मानदाता सिंह कौम राजपूत द्वारा वादीगण के दादा जी रामेश्वर पुत्र नारायण जाति खाती को जरिये विकय पत्र दिनांक 24.07.1972 को खसरा नम्बर 1088/2 रकबा 135 बीघा 01 बिस्वा में से 6 बीघा भूमि का विक्रय किया गया था। जिस पर वादीगण को अपने बुजुर्गान के समय से लगातार मौके पर आज तक काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के दादा/पडदादा जी रामेश्वर पुत्र श्री नारायण की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारीसान वादीगण ही है। वादीगण के दादा/पड़दादा जी द्वारा खरीदी गई भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। परन्तु बादीगण के पडदादा/दादा जी भोले–भाले एवं काश्तकार व्यक्ति थे। जो कानून से अनभिज्ञ होने से वो अपने हक में करवाया गया विकय पत्र दिनांक 24.07.1972 का भी नामान्तकरण भी नहीं खुल पाया। जिससे खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी में से अपने नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1972 के आधार पर अपने नाम 6 बीघा पक्की भूमि में से वादी संख्या 01 लगायत 04 प्रत्येक को हिस्सा 1/5–1/5 व वादी संख्या 05 लगायत 11 को हिस्सा 1/5 भूमि की खातेदारी घोषणा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण क्रयशुदा भूमि पर अपने बुजुर्गान रामेश्वर जी के समय से आज तक लगातार काबिज काश्त

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

करते चले आ रहे है। परन्तु दिनांक 29.05.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर आये और काश्त करने से मना करने लग गये तब वादीगण ने स्पष्ट कहा कि हमारे बुजुर्गान द्वारा भूमि आपके बुजुर्गान से दिनांक 24.07.1972 को ही कय कर ली गई थी तब से लेकर लगातार हम काबिज काश्त चले आ रहे है । तब प्रतिवादीगण ने कहा कि जमीन हमारे नाम चल रही है । तुम्हारा कोई लेना देना नही है । तुम्हे हम कभी भी बेदखल करवाकर जमीन का बेचान दीगर व्यक्तियो को करके रहेंगे तुम चाहे सो कर लेना। वादीगण के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हक व हिस्सो में से वादीगण अपने नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1972 के आधार पर अपने नाम 6 बीघा पक्की भूमि में से वादी संख्या 01 लगायत 04 प्रत्येक को हिस्सा 1/ 5–1/5 व वादी संख्या 05 लगायत 11 को हिस्सा 1/5 भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण के लिये वादकारण दिनांक 29.05.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा सरेआम ऐलानियां धमकियां देने पर उत्पन्न हुआ जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण का वाद अन्दर मियाद कानून मियाद एवं उचित न्यायशुल्क पर पेश है। वाद वादीगण द्वारा पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 204 के खसरा नम्बर 3448/4042 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 3572 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 3597/4045 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 3600/4165 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 3601/4170 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 3629/4179 रकबा 0.

06 है0, खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.95 है0, खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 3659 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3869 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 3672 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 3675 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 3676 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 3709 रकबा 0.09 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 3.54 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज. मे प्रतिवादीगण के नाम हक व हिस्सो में से वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1972 के आधार पर 6 बिघा पक्की भूमि में से वादी सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक को हिस्सा 1/5–1/5 व वादी सं. 5 लगायत 11 को हिस्सा 1/5 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की दखलदांजी एवं मजाहमत वैजा स्वयं नही करे न ही किसी अन्य से करावें।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जोन पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी रजिस्टर्ड जारी की गयी तो प्रतिवादीगण की न तो रजिस्टर्ड ए.डी तामील प्राप्त हुई न ही प्रतिवादीगण हाजीर अदालत आये इस प्रकार रजिस्टर्ड ए.डी के प्रति वादी हाजीर नही होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने के कारण साक्ष्य सबुत नही थी। जाकर सीधे ही बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण के बुजर्गान द्वारा मांजी परिहार जी माता ठा. मानदाता सिह द्वारा वादीगण के दादा रामेश्वर पुत्र नारायण की विक्रय पत्र दिनांक 24.

उपखण्ड अधिकारी

07.71 को ख.न 1088/2 रकबा 135 बीघा 1 कबस्वा मे से 6 बीघा का विबय किया था जिस पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। रामेश्वर पुत्र नारायण की मृत्यु हो जाने से विक्रय पत्र दिनांक 24.07.72 के अनुसार नामान्तकरण नही खुल पाया। अतः विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम नामान्तकरण खुलवाया जावें।

वादी ने ग्राम तीतरिया की जमाबन्दी संख्या 2073–2076 खाता सं. 204, मिलान क्षेत्रफल जमाबन्छी सम्वत 2051–2070, विक्रय पत्र दिनांक 24.07.72 के दस्तावेज बतौर सबुत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गोर किया व दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो वादीगण के पूर्वज द्वारा मांजी परिहार जी से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.07.72 के द्वारा 6 बीघा भूमि क्रय की गयी थी किन्तु क्रेता वादीगण के पूर्वज रामेश्वर पुत्र नारायण एवं वादीगण के हक में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण नही खुलवाया जबकि वादग्रस्त भूमि पर क्रय की गयी तब से ही क्रयशुदा भूमि पर पूर्व में वादीगण के पूर्वज व वादीगण के पुर्वज का स्वर्गवास होने पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इस प्रकार रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय शुदा भूमि का वादीगण के हक में नामान्तकरण खुलवाया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर (मुताबिक विक्रय पत्र 24.07.72 के) वादग्रस्त भूमि ख.न 3448/4042 रकबा 0.03 है0 , खसरा नम्बर 3572 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 3597/4045 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 3600/4165 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 3601/4170 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 3629/4179 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.95 है0,

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 3659 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 3869 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 3672 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 3675 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 3676 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 3709 रकबा 0.09 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 3.54 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील चाकसू में प्रतिवादीगण के नाम हक व हिस्सों मे से वादीगण को विक्रय पत्र दिनांक 24.07.72 के आधार पर 6 बीघा भूमि मे से वादी संख्या 1 से 4 को प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 5 से 11 को ~~दिनांक~~ 1/5 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्रि जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावेर। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

(डिकी मुकद्दमा इब्तदाई)
(20 रूल 6-7 ज़ाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर

बइजलास ओम प्रकाश सहारण RAS उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर

केसरदेवी पत्नि रामस्वरूप [illegible] अन्वला पुत्री वासुदेव जाति राजपूत निवासी गीजगढ़ जिला जयपुर

बनाम

जागिड़ निवासी तीतरिया तहसील चाकसू

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्वामित्व विपक्षगण [illegible] जयपुर राज०।

मुकद्दमा नम्बर 18/2020 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ————————————

व हाजिरी ———————— मिनजानिक मुद्दई रूबरू ————————————

———————————— मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया

जाता है व डिकी दी जाती है कि दावावादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर (मुताबिक विक्रय पत्र दि. ..12 के) बाक्यात भूमि ख.नं. 3548/4042 रकबा 0.03 है, खसरा नम्बर 3572 रकबा 0.10 है, खसरा नम्बर 3587/4045 रकबा 0.03 है, खसरा 3600/4165 रकबा 0.22 है खसरा नम्बर 3601/4170 रकबा 0.17 है खसरा नम्बर 3629/4179 रकबा 0.06 है खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.95 है, खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.59 है खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.09 है खसरा नम्बर 3659 रकबा 0.06 है खसरा नं 3669 रकबा 0.08 है खसरा नं 3672 रकबा 0.07 है खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.46 है खसरा नं 3675 रकबा 0.08 है, खसरा नम्बर 3676 रकबा 0.49 है खसरा नम्बर 3709 रकबा 0.09 है कुल किता 16 कुल रकबा 3.54 है वाके ग्राम तीतरिया तहसील चाकसू

निज —— मुबलिग —— बाबत —— खर्चा इस मुकद्दमा के मय सूद बशरह

———————— फीसदी सालाना / आज की तारीख से तारीख

अदायगी तक ———————— को अदा करें।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज तारीख 05.2.2021 सन 2014

को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

मुहर उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा मान्य वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीलान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

दस्तखत ————————

मुहर ————————

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, चाकसू जिला जयपुर

www.jaipur.nic.in

कमांक / राजस्व / 2021 / 317 दिनांक 05 / 2 / 2021

तहसीलदार
तहसील चाकसू।

विषय :– मुकदमा नम्बर 18/2020 केसरदेवी बनाम अचला सरकार निर्णय की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुकदमा नम्बर 18/2020 केसरदेवी बनाम अचला सरकार पारित निर्णय की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवायी जा रही है। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)